

7. प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग के पूर्व स्वीकृत मानचित्र संख्या-578/जी0एच0/जोन-1/12-13 दिनांक 08.10.2013 तथा संशोधित मानचित्र संख्या-03/जी0एम0पी0/जी0एच0/2017-18 दिनांक 15.11.2018/07.02.2019 में अंकित प्राविधान/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
8. पार्किंग हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल/एरिया का उपयोग के पार्किंग के रूप में सुनिश्चित किया जायेगा। 10% पार्किंग आगन्तुको के लिए आरक्षित की जायेगी।
9. शमनीय भवन की गुणवत्ता मान्य तकनीकी मानकों स्ट्रक्चरल डिजाइन आदि में कमी अथवा अन्य किसी दोष के कारण यदि भवन में अथवा भवन परिसर में कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आवेदक जिम्मेदार होगा तथा दुर्घटनाओं की क्षति के लिए निर्माणकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा।
10. शमन की जा रही ग्रुप हाउसिंग की बाउन्ड्रीवाल निर्मित नहीं है। अतः सेट बैक में दर्शाए गये क्षेत्रफल में भविष्य में भिन्नता पाये जाने पर आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा एवं यदि कोई विचलन पाया जाता है तो पुनः शमन कराना होगा।
11. शमन मानचित्र में दर्शाये गये तथ्यों में से यदि कोई तथ्य असत्य पाया जाता है तो उसके लिए निर्माणकर्ता स्वयं जिम्मेदार होगा।
12. ई0डी0सी0 व सी0डी0सी0 की किस्तों के रूप में देय शुल्क समयानुसार जमा कराना होगा।
13. सन्दर्भित ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड में 50 पेड़ प्रति हैक्टेयर सामुदायिक सुविधा के अन्तर्गत 125 पेड़ प्रति है0 के अनुसार लगाने होंगे।
14. शासनादेशानुसार प्रस्तावित 10 प्रतिशत ई0डब्ल्यू0एस0 व 10 प्रतिशत एल0आई0जी0 का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है।
15. निर्माण के समय यथासम्भव सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई दुर्घटना, जान-माल की हानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
16. स्वीकृत मानचित्र में मैकेनिकल पार्किंग दर्शायी गयी है पूर्णता प्रमाण पत्र से पूर्व मैकेनिकल पार्किंग स्थल पर लगानी होगी।
17. मा0 राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

संलग्न:-शमन मानचित्र सैट

सहायक अभियन्ता
प्रवर्तन जोन-1